संख्या : 821 /I/2018-03(1)/27/2010

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक : 01 ~~जुलाई,~~ अगस्त 2018

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 12.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 184/उरेडा/9(1)215/प्र.रि./2016 दिनांक 30.04.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में सोलर फोटोवोल्टाईक मद हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 601/2017 (ग्राम दुगाड़ी में 20, नकेला में 02, रजनागोठ में 12 एवं वनरावत बस्ती में 16 सहित कुल 50 सोलर स्ट्रीट लाईट) एवं 42/2018 (विवेक विहार में 22 स्ट्रीट लाईट) की पूर्ति हेतु कुल 72 सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना के लिये राज्यांश के रूप में अनुदान सं0–21 में **रू0 12.80 लाख (रू0 बारह लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि वर्णित लेखाशीर्षकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. योजना के लिए आबंटित धनराशि तभी एवं उसी मात्रा में आहरित कर व्यय की जायेगी जहां जैसा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुदान/सब्सिडी दिये जाने को अनुमन्य किया गया हो, अन्यथा धनराशि आहरित/व्यय नहीं की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का आहरण कर उसे 31–03–2019 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।
3. उक्त धनराशि के व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. आहरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।
5. व्यय उन्हीं मद में किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. उक्त योजना के सापेक्ष अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय एवं कार्य स्थल पर भौतिक प्रगति का प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रमाणित अभिलेख शासन को उपलब्ध कराया जाय।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
9. स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।

2— अनुदान सं0—21 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि लेखाशीर्षक 2810—वैकल्पिक ऊर्जा—02—सोलर इनर्जी—102—सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम—03—सोलर फोटोवोलटाईक हेतु उरेडा को सहायता—0301—उरेडा के लिये अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या—304/XXVII(2)/2018 दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा दी गयी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

<u>संलग्नक : अलॉटमेन्ट आई0डी0।</u>

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या—821/I/2018-03(1)/27/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2— महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
3— जिलाधिकारी, देहरादून।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5— मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी।
6— अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7— अनु सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित मा0 मुख्यमंत्री घोषणा हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः प्रश्नगत घोषणा को पूर्ण मानते हुये अभिलेखों में अंकित करने का कष्ट करें।
8— वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
9— प्रभारी, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर।
10 — गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।